



कार्यालय ओदश

कार्यालय ओदश क्रमांक 600 /नि.वि./ 4053/आर-4

दिनांक : 28.2.2018

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III तथा श्रेणी -IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्त) विनियम, 1994 के विनियम 2 (1) (पी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अध्यक्ष, बीबीएमबी विनियम, 1994 के साथ संलग्न अनुसूची-क के समूह-IV (उप समूह-क) (विद्युत खण्ड) की क्रम सं 6 पर कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रेड-II (संचार) के पद के लिए पदोन्नति के संबंध में मौजूदा शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव को निम्नलिखित अनुसार सहर्ष संशोधित करते हैं:-

श्रेणी	दिनांक 3.6.14 के क/आदेश-33 के तहत मौजूदा प्रावधान	संशोधित/प्रतिस्थापित प्रावधान
कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रेड-II (संचार)	न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
ii) टेलीफोन मैकेनिक में से पदोन्नति द्वारा (40%)	क) दसवीं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक परीक्षा उत्तीर्ण। ख) दसवीं, किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/ इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक/रेडियो मैकेनिक तथा वायरलेस मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्ष का क्राफ्ट्समैन कोर्स। या दसवीं और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, डाक और तार विभाग से टेलीफोन मैकेनिक शिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	दसवीं एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तीर्ण। या दसवीं के साथ में 2 वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/ इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक/रेडियो मैकेनिक तथा वायरलेस मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्ष का क्राफ्ट्समैन कोर्स। या दसवीं और दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र, डाक और तार विभाग से टेलीफोन मैकेनिक शिक्षण कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

नोट: (i) प्रस्तावित संशोधन मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं।

(ii) दिनांक 3.6.14 के क/आदेश-33 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाएगा।

(iii) अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

R. G. Singh
विशेष सचिव/18

पृष्ठांकन क्र 6986-7066 /नि.वि./4053/आर-4

दिनांक:28.2.2018

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी मुख्य अभियन्ता, बीबीएमबी ।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, बी.बी.एम.बी, चण्डीगढ़ ।
3. सचिव/विशेष सचिव, बीबीएमबी, चण्डीगढ़।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, बोर्ड सचिवालय, चण्डीगढ़।
5. प्रधान निदेशक- खा परीक्षा (केन्द्रीय), लेखा भवन, चंडीगढ़/सब आफिस, नगल।
6. बीबीएमबी में सभी निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रति भेजें
7. बीबीएमबी में सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव, चण्डीगढ़/दिल्ली।
8. उप मुख्य लेखा अधिकारी, बीबीएमबी, नगल/तलवाड़ा /सुन्दरनगर।
9. प्रधान चिकित्सा अधिकारी, बीबीएमबी, नगल/तलवाड़ा /सुन्दरनगर।